इकाई 13 जे.एस. मिल

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 जीवन और काल

13.3 स्त्रियों को समान अधिकार

13.4 वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्व

13.5 प्रतिनिधि सरकार

13.6 उपयोगितावाद से आगे

13.7 सारांश

13.8 अभ्यास

13.1 प्रस्तावना

एडम स्मिथ की "दि वेल्थ ऑफ नेशन्स" नामक उत्कृष्ट रचना में उपयोगितावाद के आर्थिक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। इस रचना का प्रकाशन 1776 में हुआ था। क्लासिकी उपयोगितावाद के राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से बेंथम के "तर्कबुद्धिवादी दृष्टिकोण" **(rationalistic approach)** के प्रयोग से और सत्ता पर आधिपत्य जमाए लोगों के "अनर्थकारी स्वार्थों" **(sinister interests)** के प्रति उसके मन में गंभीर आशंका से निकले थे। इसके प्रतिरोध के लिए बेंथम ने वार्षिक चुनाव, गुप्त मतदान और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ठीक प्रकार से कार्य न करने पर उन्हें वापस बुला लेने की व्यवस्था का समर्थन किया। परंतु बेंथम का सभी सुखों और सभी दुखों के परिमाण को निर्धारित करने के यांत्रिक फार्मूले की अवधारणा ने उसकी इस प्रसिद्ध उक्ति जिसमें कहा गया है कि "पुशपिन का खेल कविता करने के समान है" (Pushpin **is as good as poetry)** को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह बात उसके सबसे प्रसिद्ध शिष्य जॉन स्टुअर्ट मिल को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं कर सकी। मिल ने स्वयं स्वीकार किया कि वह "पीटर था जिसने अपने मालिक को मना कर दिया।" उसकी रचनाओं में बेंथम के उपयोगितावाद की पहली महान आलोचना प्रकाशित हुई। उसने अपने ऊपर वड्र्सवर्थ और दूसरे स्वच्छंदतावादी (romantic) कवियों के व्यापक प्रभाव के साथ बुद्धिवाद और स्वच्छंदतावाद का संश्लेषण तैयार करने का प्रयास किया। इस प्रक्रिया में उसने बेंथम के उपयोगितावाद के संपूर्ण आधार को इस दावे के साथ परिवर्तित कर दिया कि सुख में बहुत विशिष्टीकरण है और यह कि सभी सुखानुभूतियाँ उसी प्रकार एक-समान नहीं होतीं जैसे सुकरात का असंतोष किसी मूर्ख व्यक्ति के संतोष की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

जे.एस. मिल की महत्ता न केवल उसके द्वारा की गई उपयोगितावाद की आलोचना में है बल्कि उदारतावाद को दिए गए उसके महत्वपूर्ण योगदान में है जिसे उसने भाषण और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के संबंध में उल्लेखनीय समर्थन देकर और उदारवादी राज्य की स्थापना के लिए आवश्यक पूर्वावस्था के रूप में उदारवादी समाज के समर्थन के रूप में व्यक्त किया।

13.2 जीवन और काल

जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। उसके आठ छोटे भाई-बहन थे। उसने अपनी पूरी शिक्षा अपने पिता जेम्स मिल से प्राप्त की। उसने उन पुस्तकों को पढ़ा जो उसके पिता भारत के संबंध में, "हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया" (1818) लिखने के लिए पढ़ रहे थे। ग्यारह वर्ष की आयु में उसने अपने पिता की पुस्तकों के प्रूफ पढ़कर उनकी मदद करनी शुरू कर दी थी। "हिस्ट्री ऑफ इंडिया" के प्रकाशन के एकदम बाद जेम्स मिल ईस्ट इंडिया हाउस में सहायक परीक्षक के पद पर नियुक्त हो गया। उसके जीवन में यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे उसकी वित्तीय समस्याओं का समाधान हो गया। अब वह अपना समय और ध्यान अपनी प्रमुख रुचि की दार्शनिक और राजनीतिक समस्याओं से संबंधित विषयों पर लिखने में लगा सका। वह अब अपने बड़े पुत्र जॉन स्टुअर्ट के लिए उपयुक्त पेशे के बारे में सोच सकता था। पहले उसने बेटे के लिए वकालत के पेशे का विचार किया। लेकिन तभी 1823 में जब सहायक परीक्षक का एक और पद निकला तो स्टुअर्ट मिल को वहाँ नियुक्ति मिल गई और उसने अपनी सेवा-निवृत्ति के समय तक ब्रिटिश सरकार में काम किया।

जेम्स मिल ने अपने बेटे को स्वयं घर पर पढ़ाने का निर्णय किया। इसलिए जॉन स्टुअर्ट नियमित स्कूल में पढ़ने के अनुभव से वंचित रहा। उसकी शिक्षा में बच्चों की पुस्तकों या खिलौनों के लिए कोई स्थान नहीं था क्योंकि उसने चार वर्ष की आयु में ग्रीक और आठ वर्ष की आयु में लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया था। दस वर्ष की आयु तक उसने प्लेटो के बहुत-से संवाद, तर्कशास्त्र और इतिहास पढ़ लिए थे। अब तक वह यूरिपिडीज़, होमर, पोलिबियस, सोफोक्लीज़ और थ्यूसिडाइड्स की रचनाओं से परिचित हो चुका था। वह बीजगणित, ज्यामिति, अवकल गणित और उच्चतर गणित के प्रश्नों को हल कर सकता था। उसके ऊपर पिता का प्रभाव इतना अधिक था कि उसे अपने बचपन के विकासकाल में माता के योगदान का बिल्कुल भी स्मरण नहीं था। तेरह साल की आयु में उसने "इंग्लिश क्लासिकल इकोनॉमिस्ट" जैसी पुस्तकों का गंभीर अध्ययन शुरू कर दिया था और चौदह साल की आयु में 1820 में उसकी "ऐलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी" नामक अर्थशास्त्र की प्रवेशिका पाठ्य-पुस्तक प्रकाशित हुई। उसने थॉमस कार्लाइल (1795-1881), सेमुअल टेलर कॉलरिज (1772-1834), इसिडोर ऑगस्ट कॉम्ट (1798-1857), गैटे (1749-1832) और वड्र्सवर्थ (1770-1850) से कविता और कला का मूल्यांकन करना सीखा। उसने एलेक्स डि टॉकविल (1805-1859) की 1835 और 1840 में दो भागों में प्रकाशित "डेमोक्रेसी इन एमेरिका" की समीक्षा की। उसपर इस पुस्तक का व्यापक प्रभाव पड़ा।

जॉन स्टुअर्ट ने घर में जो प्रशिक्षण प्राप्त किया उससे उसे निश्चय हो गया कि उसके चरित्र के निर्माण में प्रकृति के बजाय पालन-पोषण ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे उसकी यह धारणा बनी कि मनुष्य की प्रकृति को बदलने में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। 1850 के दशक में लिखित अपनी "ऑटोबायोग्राफी" में उसने अपनी मानसिक योग्यताओं और शक्ति के निर्माण में अपने पिता के योगदान को स्वीकार किया। अपनी इस आत्मकथा में उसने यहाँ तक भी स्वीकार कि उसने अपना लड़कपन तो मानो देखा ही न हो।

बीस साल की आयु में मिल ने समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में लेख लिखने आरंभ कर दिए। उसने राजनीतिक सिद्धांत के प्रत्येक पहलू पर अपना योगदान किया। उसने 1820 में "सिस्टम ऑफ लॉजिक" (1843) का लेखन आरंभ किया। इसमें उसने राजनीति के सुसंगत दर्शन पर प्रकाश डालने का प्रयास

किया। "लॉजिक" (तर्कशास्त्र) ने संघात्मक मनोविज्ञान की लॉक और ह्यूम की ब्रिटिश अनुभववादी परंपरा को न्यूटन के भौतिक विज्ञान पर आधारित समाजविज्ञान की संकल्पना के साथ मिला दिया। उसके "ऑन लिबर्टी" (1859) और "दि सब्जेक्शन ऑफ वीमेन" (1869) नामक निबंध कानून, अधिकार और स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उदारतावादी विचारधारा की उत्कृष्ट व्याख्या हैं। उसकी रचना प्रतिनिधि सरकार पर विचार संबंधी दी कनसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट" (1961) में आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और स्वायत्त शासन की संस्थाओं पर आधारित आदर्श सरकार की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। "उपयोगितावाद" पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका "यूटीलिटेरियन" में मिल ने बेंथम के

उसने बेंथम की इस अवधारणा से स्वयं को पर्याप्त रूप से पृथक् करते हुए कहा कि इस सिद्धांत का तभी समर्थन किया जा सकता है यदि "प्रसन्नता" **(happiness)** और "सुख" (pleasure) में अंतर किया जाए। 1808 और 1840 के बीच लिखे गए बेंथम और कॉलरिज पर उसके निबंधों ने उसे बेंथमवाद का आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने का अवसर प्रदान किया।

1826 में मिल को "मानसिक संकट" (mental crisis) में से गुजरना पड़ा। तब उसने जीवन में प्रसन्नता की पूरी क्षमता को खो दिया। उसने कॉलरिज और वड्र्सवर्थ की रोमानी कविता का अनुभव करके स्वास्थ्य लाभ किया। उसने अपनी शिक्षा की अपूर्णता को यानी जीवन के भावनात्मक पक्ष के अभाव को अनुभव किया। उसने बेंथमीय दर्शन की पुनः परीक्षा करने के बाद उसकी एक-पक्षीयता के लिए बेंथम के अनुभाव, कल्पना और भावों के अभाव को जिम्मेदार ठहराया। उसने बेंथमवाद को व्यापक बनाने के लिए और भावनात्मक, सौंदर्यशास्त्रीय तथा आध्यात्मिक आयामों के विस्तार के लिए कॉलरिज की कविता का उपयोग किया। परंतु वह बेंथमवाद के मूल सिद्धांतों से कभी पीछे नही हटा। यद्यपि दोनों में मुख्य अंतर यह था कि बेंथम ने फ्रांसीसी उपयोगितावादियों के मानव प्रकृति के अपेक्षाकृत साधारण चित्रण का अनुसरण किया जबकि मिल ने ह्यूम के परिष्कृत उपयोगितावाद का अनुसरण किया।

मिल ने स्वीकार किया कि "ऑन लिबर्टी" और "दि सब्जेक्शन ऑफ वीमेन" उसके और हैरियट हार्डी टेलर (जिसे वह 1830 में मिला था) का संयुक्त प्रयास था। यद्यपि हैरियट विवाहित थी, फिर भी मिल को उससे प्यार हो गया। इसके बाद अगले उन्नीस वर्षों तक उन दोनों में घनिष्ठ लेकिन पवित्र मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहे। हैरियट के पति जॉन टेलर की 1849 में मृत्यु हो गई। 1851 में मिल ने हैरियट से विवाह कर लिया और अपनी उपस्थिति से उसे सम्मानित और महिमान्वित किया। उसके मानवीय सुधार के प्रयास में हैरियट उसके लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुई। उसे यह विश्वास था यदि हैरियट उस समय जीवित होती जब महिलाओं के सामने और अधिक अवसर थे तो वह मानव जाति के शासकों में अग्रगण्य होती। सन् 1873 में मिल का इंगलैंड के ऐविग्नॉन (Avignon) में निधन हो गया।

13.3 स्त्रियों को समान अधिकार

"सब्जेक्शन ऑफ वीमेन" (1869) नामक पुस्तक का आरंभ इस क्रांतिकारी कथन के साथ किया गया है कि "जो सिद्धांत स्त्रियों और पुरुषों के बीच विद्यमान सामाजिक संबंधों को विनियमित करते हैं - अर्थात् स्त्री और पुरुष द्वारा एक-दूसरे का कानूनन अधीनीकरण - स्वयं में गलत है और वह मानवीय संबंधों को सुधारने के रास्ते में एक मुख्य बाधा है, जिसका स्थान संपूर्ण समानता के सिद्धांत को ले

लेना चाहिए। (पृष्ठ 119) मिल ने महिलाओं के कानूनन अधीनीकरण के जिस कानून का संदर्भ दिया है वह उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के विवाह-करार का अंग्रेज़ी कानून है। इस कानून के अनुसार कोई भी विवाहित अंग्रेज़ महिला अपने नाम से संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती। यहाँ तक कि यदि उसके माता-पिता उसे कोई संपत्ति भेंट करते थे तो वह भी उनके पतियों की होती थी। यदि कोई महिला कानूनन अपने पति से तलाक लेकर अलग हो जाती (जिसकी प्रक्रिया बहुत जटिल और खर्चीली थी) या चाहे वह अपने पति से दूर ही क्यों न रहती हो किंतु अधिकृत रूप से उसकी कमाई को पति की कमाई माना जाता था। कानून के अनुसार, माता के बजाय केवल पिता ही उस विवाहित युगल के बच्चों का अभिभावक होता था। उस समय अंग्रेज़ महिलाओं द्वारा अनुभव की जा रही असमानताओं को सिद्ध करने के लिए मिलने वैवाहिक बलात्कार के संबंध में कानूनों के अभाव का भी उल्लेख किया है।

मिल को यहाँ विरोधाभास दिखाई दिया कि मध्य युग में जहाँ अन्य क्षेत्रों में स्वाधीनता और समानता के सिद्धांतों पर बल दिया जा रहा था, वहीं महिलाओं की दशा के संबंध में उन्हें अभी लागू नहीं किया जा रहा था। यद्यपि कोई भी दास प्रथा के पक्ष में नहीं था, फिर भी कभी-कभी महिलाओं के साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था और इस पर किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होता था। मिल महिलाओं की समानता के विरोध की समानता और स्वाधीनता के सिद्धांतों की सामान्य रूप से स्वीकृति के संदर्भ में व्याख्या करना चाहता था। उसने पहले महिलाओं के अधीनीकरण के पक्ष में तर्क देकर और फिर उन तर्कों का खंडन करके महिलाओं की समानता के पक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत किए।

मिल ने महिलाओं की असमानता के बारे में जिस पहली युक्ति का खंडन किया, वह यह थी कि चूँकि ऐतिहासिक दृष्टि से यह सर्वत्र प्रचलित है इसलिए इसका कुछ न कुछ औचित्य अवश्य होगा। इसके विरुद्ध, मिल ने कहा कि दास प्रथा जैसी तथाकथित दूसरी सर्वत्र व्याप्त सामाजिक प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया गया है। संभवतः ऐसे ही समय में महिलाओं के प्रति असमानता की प्रथा भी अस्वीकार्य हो जाएगी। मिल ने कहा कि किसी चीज़ की विद्यमानता से यह नहीं कहा जा सकता कि वह सही होगी। लेकिन ऐसा तभी कहा जा सकता है यदि उसके विकल्प की भी परीक्षा कर ली गई हो। और जहाँ तक महिलाओं की समानता का प्रश्न है, इसकी कभी परीक्षा नहीं की गई है। महिलाओं की असमानता का प्रचलन क्यों रहा? और दास प्रथा तथा राजनीतिक निरंकुशता क्यों जारी रही, इसका कारण इनका न्यायसंगत होना नहीं था। इसका कारण दास प्रथा को चलाने वालों और तानाशाहों का स्वार्थ था जो इन्हें जारी रखना चाहते थे। मिल के विचार में वस्तुतः सभी लोगों का स्वार्थ महिलाओं के अधीनीकरण या गुलामी में था।

महिलाओं की असमानता के पक्ष में दूसरी युक्ति महिलाओं की प्रकृति पर आधारित है। ऐसा माना जाता था कि स्त्रियाँ पुरुषों की तुलना में प्राकृतिक दृष्टि से निम्न हैं। इसके उत्तर में मिल का यह कहना था कि प्राकृतिक भिन्नता के आधार पर महिलाओं को असमान मानना उचित नहीं है क्योंकि ये भिन्नताएँ समाजीकरण का परिणाम हैं। सामान्यतः मिल मानव प्रकृति को किसी भी दावे का आधार मानने के विरुद्ध था। उसका विश्वास था कि मनुष्य का स्वभाव सामाजिक वातावरण के अनुसार बदलता है। इसी के साथ मिल ने यह भी संकेत किया कि पुरुषों के द्वारा उनके साथ इतना भिन्न प्रकार से व्यवहार किए जाने के बावजूद पूरे इतिहास में बहुत-सी महिलाओं ने राजनीतिक नेतृत्व की असाधारण क्षमता प्रदर्शित की है। इस संदर्भ में मिल ने यूरोप की रानियों और भारत की राजकुमारियों के उदाहरण उद्धृत किए हैं।

मिल ने तीसरी युक्ति का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि महिलाओं के अधीनीकरण में कोई दोष नहीं है क्योंकि महिलाएँ स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। मिल ने इस कथन का खंडन किया कि यह बात अनुभव के आधार पर गलत है क्योंकि बहुत-सी महिलाओं ने स्त्रियों की असमानता के संबंध में पुस्तिकाएँ लिखी हैं और सैकड़ों महिलाएँ बहुत समय से लंदन की सड़कों पर नारी मताधिकार के लिए प्रदर्शन करती रही हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि महिलाओं के पास अपने पति के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्हें डर था कि यदि उन्होंने अपनी दशा के बारे में शिकायत की तो उनके साथ और भी बुरा व्यवहार होगा। मिल का यह भी दावा था कि चूँकि सभी महिलाओं का पालन-पोषण बचपन से इस विश्वास के साथ होता है कि "उनके चरित्र का स्वरूप पुरुष के चरित्र से एकदम विपरीत है; उनकी अपनी इच्छा कोई कोई महत्व नहीं है, उन्हें आत्म-संयम द्वारा अपने ऊपर शासन करना चाहिए।" (पृ. 132) जिस बात का उल्लेख नहीं किया जाता था वह यह था कि कुछ महिलाओं ने अपनी इच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली जबकि बहुत-सी महिलाओं ने इसका विरोध किया।

अंतिम बात परिवार के सुव्यवस्थित रूप से कार्य करने से संबंधित है जिसके विरोध में मिल ने मत व्यक्त किया। परिवार में एक निर्णय लेने वाले की आवश्यकता होती है। यह निर्णय करने का कार्य पति सबसे अच्छी तरह कर सकता है। किंतु मिल ने इस तर्क को हास्यास्पद बताया। उसका यह तर्क था कि पति और पत्नी, दोनों वयस्क होते हैं इसलिए इस बात का कोई उपयुक्त कारण नहीं है कि पति ही क्यों घर के सब फैसले करे।

इस प्रकार स्त्रियों की असमानता से संबंधित चारों युक्तियों का निराकरण करके मिल ने लिखा :"यहाँ ऐसे बहुत-से लोग हैं जिनके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि असमानता के पक्ष में कोई न्यायसंगत या वैध युक्ति नहीं है। उन्हें यह बताने की भी आवश्यकता है कि इसको हटा देने से क्या सुनिश्चित लाभ प्राप्त होगा।" (पृष्ठ 196) यहाँ प्रश्न यह है कि यदि महिलाओं को समान अधिकार दे दिए जाएँ तो क्या समाज को इससे लाभ होगा? इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देते हुए मिल ने महिलाओं की समानता के चार सामाजिक लाभ गिनाए।

इसका पहला लाभ यह होगा कि परिवार में "तानाशाही का कोई स्थान नहीं होगा।" (पृ. 160) मिल के अनुसार पितृसत्तात्मक परिवार अपने सभी सदस्यों को यह सिखाता है कि पितृसत्तात्मक संबंधों में कैसे रहा जाता है, क्योंकि वहाँ सारी शक्ति पति/पिता/मालिक के हाथों में संक्रेंदित रहती है और पत्नी/बच्चों/नौकरों को उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। मिल की दृष्टि में ऐसे परिवार समानता के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक लोकतंत्रीय शासन में पुरावशेष के समान हैं। जो व्यक्ति ऐसे परिवारों में रहते हैं वे अच्छे लोकतंत्रीय नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि किसी दूसरे नागरिक से समानता का व्यवहार कैसे किया जाता है :"क्या किसी ऐसे व्यक्ति में स्वाधीनता के कोई भाव विद्यमान हो सकते हैं जिसके निकटतम और प्रियतम घनिष्ठ संबंधी उन लोगों के साथ रहते हों जिनका वह निरंकुश स्वामी है। यह स्वतंत्रता से वास्तविक प्रेम नहीं है, लेकिन प्राचीनकाल और मध्यकाल में सामान्यतः स्वतंत्रता से प्रेम का अभिप्राय यह था कि वह स्वयं अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा और महत्व की तीव्र भावना थी। ऐसा व्यक्ति दायित्व से बचने का प्रयास करता है, लेकिन वह अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए अपने हितों को दूसरों पर लादने को लिए तत्पर रहता है।" (पृ. 161) लोकतंत्रीय नागरिकता के हित में यह आवश्यक था कि परिवार में महिलाओं को समानता का दर्ज़ा दिया जाए।

मिल के अनुसार इसका समाज को एक और लाभ यह प्राप्त होगा कि इससे "जन-सामान्य की मानसिक क्षमताएँ दोगुनी हो जाएँगी।" (पृ. 199) इससे न केवल समाज को लाभ होगा (क्योंकि इससे और अधिक डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, और वैज्ञानिक जो सब महिलाएँ होंगी) बल्कि इसका यह भी लाभ होगा कि अपनी महिला सहकर्मियों से प्रतिद्वंद्विता के कारण पुरुष भी अपने-अपने क्षेत्रों में और अधिक कुशलता से कार्य करेंगे।

स्त्रियों में समानता का तीसरा लाभ यह होगा कि इसका मानव समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अधीनता की स्थिति में महिलाओं को अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार के विकृत तरीकों से करनी पड़ती है। जबकि समानता का दर्जा मिलने पर उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अंत में, महिलाओं को समानता देने से उनकी प्रसन्नता में कई गुना वृद्धि होगी। मिल का कहना है कि इससे उपयोगितावाद के अधिकांश संख्या को अधिक से अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति संबंधी सिद्धांत का पूर्ति होगी।

अब मिल की संकल्पनात्मक दिशाओं पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के तौर पर, मिल ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बीच संपर्क स्थापित किया। दूसरे उदारवादियों ने न केवल परिवार के विस्तार को स्वाधीनता के क्षेत्र के रूप में देखा बल्कि उन्होंने इस स्वाधीनता को प्रायः स्वेच्छाचारिता के रूप में परिभाषित किया लेकिन उदारवादी लोकतंत्र के अपेक्षाकृत व्यापक सार्वजनिक हित में परिवार को असंगत ठहरा कर अलग कर दिया। इसके विपरीत, मिल का कथन था कि पितृसत्तात्मक परिवार में सुधार किए बिना लोकतंत्र को दृढ़ता से स्थापित करना असंभव होगा। यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि उसका केवल यह कथन नहीं था कि महिलाओं को समान अधिकार दिए बिना लोकतंत्रीय परियाजना अपूर्ण है, अपितु उसका यह मत था कि जब तक हम समतावादी परिवारों में लोकतंत्रीय नागरिकों का सृजन नहीं लेंगे तक राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में लोकतंत्र का स्वरूप स्थिर नहीं होगा।

इस बात से कुछ नारीवादियों को असुविधा हो सकती है कि मिल के विचार में आधुनिक समाज में पितृसत्तात्मक परिवार पुरावशेष हैं। इस प्रकार "महिलाओं का सामाजिक अधीनीकरण आधुनिक सामाजिक संस्थाओं में एकल तथ्य है, जो प्राचीन विचारधारा और व्यवहार का एकमात्र अवशेष है।" (पृ. 137) बहुत-से नारीवादी अब पूँजीवादी पितृसत्ता की बात करते हैं जिसमें पितृसत्तात्मक संस्थाओं को आधुनिक पूँजीवाद द्वारा परिपुष्ट किया जाता है।

13.4 वैयक्तिक स्वतंत्रता का महत्व

मिल ने "ऑन लिबर्टी" (1859) का आरंभ इस विरोधाभास के साथ किया है कि सार्वजनिक स्वाधीनताएँ तानाशाही शासन के बजाय लोकतंत्रीय व्यवस्था में अधिक खतरे में हैं। पूर्वकालीन तानाशाही राज्यों में शासकों के हित प्रजा के हितों के विरोधी समझे जाते थे क्योंकि प्रजा अपनी वर्तमान स्वतंत्रताओं में हस्तक्षेप के प्रति पूर्ण रूप से सजग थी। स्वशासन के सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक लोकतंत्रों में लोग अपनी सरकारों से कम खतरा अनुभव करते हैं। मिल ने इस शिथिलता की भर्त्सना की और कहा कि व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के न केवल सरकार से बल्कि सामाजिक नैतिकता और रीति-रिवाजों से होने वाले खतरों के प्रति भी जागरूक होना चाहिए।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करना क्यों महत्वपूर्ण है? जब व्यक्ति अपनी पसंद की चीज़ का चयन करते हैं तो वे अपनी कई क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। इनमें प्रमुख हैं -"प्रत्यक्षीकरण, निर्णय करना, भेदीकरण की अनुभूति, मानसिक क्रियाशीलता और नैतिक प्राथमिकता आदि मानवीय क्षमताएँ। इनका उपयोग हम किसी वस्तु के चयन के लिए करते हैं। जिस प्रकार माँसपेशियों के उपयोग से उनकी शक्ति में सुधार होता है उसी प्रकार मानसिक और नैतिक शक्तियों के उपयोग से सुधार होता है। कोई व्यक्ति जो अपने लिए किसी योजना का चयन करता है, वह उसके लिए अपनी सभी क्षमताओं को लगा देता है। इसके लिए पहले उसे पर्यवेक्षण करना होता है, तर्क और निर्णय द्वारा पूर्वानुमान करना होता है, निर्णय के अनुसार सामग्री एकत्र करने के लिए क्रियाशीलता की आवश्यकता होती है, निर्णय करने के लिए विभेदन की और जब वह निर्णय कर लेता है तो अपने सुविचारित निर्णय पर डटे रहने के लिए दृढ़ता और आत्म-नियंत्रण की आवश्यकता होती है।" (पृ. 59) जो व्यक्ति किसी काम को दूसरों के द्वारा बताए जाने पर उसी प्रकार से करते हैं वे अपने अंदर इन क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकते। किसी बात पर बल देकर यह समझाना होता है कि क्या महत्वपूर्ण है, "अर्थात् न केवल जो आदमी किसी काम को करते हैं बल्कि उसे किस प्रकार करते हैं यह बताना भी आवश्यक है।" (पृ. 56) मिल का कथन है कि हम व्यक्तियों का किसी अच्छे मार्ग के लिए मार्गदर्शन" कर सकते हैं और इस काम में यदि हम उन्हें स्वयं चयन करने का अवसर नहीं देते तो ऐसे मनुष्यों की "योग्यता" संदिग्ध होती है।

मिल ने स्वाधीनता के बारे में तीन विशिष्ट स्वतंत्रताओं का समर्थन करते हुए अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और विस्तार से चर्चा की। ये स्वतंत्रताएँ हैं - विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (इसमें भाषण और प्रकाशन की स्वतंत्रता शामिल है), कार्य करने की स्वतंत्रता; और संघ बनाने या उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता। यहाँ हम मिल की सभी युक्तियों पर क्रम से विचार करेंगे।

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :"यदि एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी मानव-जाति की किसी मामले में एक राय हो और केवल एक व्यक्ति उनके विरुद्ध हो तो मानव-समाज को उस एक व्यक्ति को चुप करा देना उचित नहीं होगा। इसकी अपेक्षा यदि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति हो तो उसका मानव समाज को चुप कराना न्यायसंगत होगा।" (पृ. 20) मिल ने इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चार कारण बताए। मिल के अनुसार चूँकि किसी समाज के प्रमुख विचार सामान्यतः समाज के प्रभावशाली वर्ग के हितों की दृष्टि से उत्पन्न होते हैं इसलिए बहुसंख्यक वर्ग का मत सत्य से या सामाजिक हित से बहुत दूर हो सकता है। इस बात की और भी अधिक संभावना है कि दबे हुए अल्पसंख्यक वर्ग का मत सत्य हो और जो लोग इनका दमन कर रहे हैं वे मानव समाज को सत्य जानने के मार्ग में रुकावट खड़ी कर रहे हों या उसमे विलंब करा रहे हों। मानव जाति के लोग संदेहास्पद प्रवृत्ति के प्राणी हैं और उनकी यह निश्चयात्मकता कि उनका जो मत है वही सत्य है तभी न्यायसंगत सिद्ध होता है जब उनका मत उनके विरोधी मतों से निरंतर भिन्न हो। मिल ने हमें असंदिग्धता की धारणा को छोड़ने को कहा ताकि जब हमारे विश्वासों के संबंध में हमारी निश्चयात्मकता हमें सभी विरोधी दृष्टिकोणों को ध्वस्त करने को प्रेरित करे तब हमारे मत की आलोचना न हो।

यदि अल्पसंख्यक वर्ग की सम्मति मिथ्या हो तो क्या किया जाए? मिल ने फिर भी उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिए जाने के तीन कारणों का उल्लेख किया। यह तभी संभव है कि हम लगातार गलत सम्मति का निराकरण करते रहें और अपनी सही सम्मति को जीवंत सत्य के रूप में समझें। यदि हम किसी सम्मति को केवल उसकी प्रामाणिकता के आधार पर स्वीकार करें - चाहे वह सत्य ही क्यों न हो - वह सम्मति मृत सिद्धांत हो जाती है। हम न तो इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं, न यह हमारे चरित्रों

को ढालने में सहायक होती है और न ही यह हमें कार्य की ओर प्रेरित करती है। अंत में मिल ने कहा कि सत्य बहुपक्षीय होता है और सामान्यतः इसकी विरोधी सम्मतियों में सत्य का कुछ अंश निहित रहता है। इस प्रकार एक सम्मति को दबाने का परिणाम सत्य के एक अंश को दबाने जैसा होता है।

जब बात कार्य की स्वतंत्रता की आती है तो इस विषय में मिल ने एक बहुत ही सरल सिद्धांत सामने रखा - "जिस एकमात्र उद्देश्य से मानव समाज व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से किन्हीं अन्य लोगों के कार्य की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करने के लिए प्राधिकृत है, उसे आत्म-संरक्षण कहा जा सकता है। यह एकमात्र ऐसा प्रयोजन है जिसके लिए सभ्य समुदायों के किन्हीं सदस्यों पर, उनकी इच्छा के विरुद्ध शक्ति का साधिकार प्रयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दूसरों की संभावित हानि को रोकना है। उसके अपने कल्याण को, चाहे वह शारीरिक हो या नैतिक, पर्याप्त आधार नहीं कहा जा सकता।" (पृ. 13) मिल ने स्वीकार किया कि अपने से संबंधित या दूसरों से संबंधित कार्य के बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है और इस कठिनाई के प्रमाण में उसने कुछ काल्पनिक उदाहरण प्रस्तुत किए। जैसे, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को नष्ट कर देता है तो यह दूसरों के कार्य से संबंधित मामला है क्योंकि इससे उस व्यक्ति पर आश्रित अन्य व्यक्ति प्रभावित होंगे। चाहे उसका आश्रित कोई भी व्यक्ति न हो, लेकिन उसके इस कार्य को दूसरों को प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि उसके उदाहरण से प्रभावित होकर संभवतः वे भी वैसा ही व्यवहार करें।

इसके विपरीत, मिल ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के प्रति विशिष्ट दायित्व होता है तब उस व्यक्ति के संबंध में कहा जा सकता है कि उसका कार्य दूसरों के हितों को प्रभावित करता है। इसलिए अपने उदाहरण द्वारा किसी एक व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की बात का कोई आधार नहीं है। अपने ही आधार पर मिल ने विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया, जैसे किसी वर्ग द्वारा सूअर या गाय के मांस को न खाना, या पादरियों से यह अपेक्षा करना कि वे विवाह न करें। ये अपने से संबंधित कार्यों पर अनावश्यक प्रतिबंधों के उदाहरण हैं। इसका एक अन्य उदाहरण सेबेटेरियन विधान में ईसाइयों के रविवार के दिन कार्य करने, यहाँ तक कि नाचने-गाने पर भी प्रतिबंध है।

मिल ने लिखा है कि कभी-कभी दूसरों से संबंधित कार्य के मामले में भी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रतियोगिता के द्वारा कोई नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसके इस कार्य को दूसरों के हितों को प्रभावित करने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इसके कारण किन्हीं अन्य को वह नौकरी नहीं मिली। लेकिन इस विषय में किसी प्रकार के प्रतिबंध लागू नहीं होते। इसी तरह, व्यापार के सामाजिक परिणाम होते हैं, लेकिन मिल के अनुसार उन्मुक्त व्यापार के सिद्धांत में विश्वास होने के कारण और व्यापार पर प्रतिबंधों के अभाव के कारण वस्तुओं की कीमतों में कमी होती है और उत्पादों की गुणवत्ता का स्तर बेहतर होता है। और जब इसका संबंध अपने कार्य से होता है, तो जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है स्वतंत्रता के सिद्धांत में सभी तरह के प्रतिबंधों का अभाव आवश्यक है।

मिल ने संघ बनाने या उसमें भाग लेने की स्वतंत्रता का तीन कारणें से समर्थन किया। एक तो "जब कोई कार्य किया जाना हो तो वह सरकार के बजाय व्यक्तियों के द्वारा अधिक अच्छे ढंग से किया जाता है। सामान्य रूप से यदि कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के उपयुक्त नहीं होता या यह निश्चय करने के लिए कि वह कार्य कैसे और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाए। यह देखना चाहिए कि उस कार्य में व्यक्तिगत रूप से किनकी रुचि है।" (पृ. 109) दूसरे, व्यक्तियों को

मिलकर कुछ काम करने देना, चाहे वे उस काम को उतना अच्छा न भी करें जितना अच्छा सरकार कर सकती है। यह उन व्यक्तियों की मानसिक शिक्षा के लिए भी अच्छा है। मिल की दृष्टि में ''संघ बनाने या उसमें भाग लेने का कार्य स्वतंत्र नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा का क्रियात्मक भाग बन जाता है जिससे वे व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थ के सीमित दायरे से बाहर निकलते हैं और संयुक्त उद्यमों की समझ के अभ्यस्त होकर सरकारी या अर्ध-सरकारी प्रयोजनों के लिए कार्य करने के आदी हो जाते हैं। अतः उनके व्यवहार का ऐसे उद्देश्यों के लिए मार्गदर्शन किया जाना चाहिए कि वे एक-दूसरे से अलग रहने के बजाय परस्पर मिलकर कार्य करें।" (पृ. 109-110) इसके अतिरिक्त सरकारी कार्य सभी जगह एक जैसे होते हैं। इसके विपरीत व्यक्तियों और स्वैच्छिक संघों के साथ विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने की संभावना होती है और वहाँ विभिन्न प्रकार के असीम अनुभव प्राप्त होते हैं। तीसरे, यदि हम सभी कार्य सरकार को करने दें तो हम उसकी शक्ति में अनावश्यक रूप से अशुभ तत्व जोड़ रहे होते हैं।

मिल का आदर्श सुधार था - वह चाहता था व्यक्ति निरंतर स्वयं को नैतिक, मानसिक और भौतिक दृष्टि से पहले से बेहतर बनाते जाएँ। इसी आदर्श के कारण उसने वैयक्तिक स्वतंत्रता को सहायक माना। "एकमात्र स्वतंत्रता ही कभी असफल न होने वाला सुधार का स्थायी स्रोत है, क्योंकि इसके द्वारा सुधार के उतने ही स्वतंत्र केंद्र संभव हो जाते हैं जितने व्यक्ति होते हैं।" (पृ. 70) यदि व्यक्तियों में स्वयं में सुधार होगा तो स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम बेहतर और सुधरा हुआ समाज होगा।

13.5 प्रतिनिधि सरकार

मिल ने अपनी पुस्तक "रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट" का आरंभ इस कथन के साथ किया कि सबसे अच्छी प्रकार की सरकार कौन-सी है? इसे जानने के लिए हमें सरकार के कार्यों की जाँच करके देखना होगा कि किस प्रकार की सरकार सबसे अच्छी तरह की सरकार के प्रयोजन को पूरा करती है। मिल के अनुसार सरकार को मुख्य रूप से दो प्रकार्य करने चाहिए। एक तो उसे नागरिकों में पाए जाने वाले उनके गुणों और कौशलों का उपयोग उनके हितों को सिद्ध करने के लिए करना चाहिए तथा दूसरे उसे नागरिकों की नैतिक, बौद्धिक और क्रियाशीलता के गुणों में सुधार करना चाहिए। एक तानाशाही सरकार इनमें से पहले प्रयोजन को तो पूरा कर सकती है, लेकिन वह दूसरे प्रयोजन को पूरा करने में सफल नहीं होगी। केवल एक प्रतिनिधि सरकार ही इन दोनो प्रकार्यों को पूरा कर सकती है। एक प्रतिनिधि सरकार सहभागिता और सक्षमता के दो सिद्धांतों को विवेक के साथ मिलाकर कार्य करती है। केवल वही सरकार नागरिकों की सुरक्षा और शिक्षा, दोनों कार्यों को पूरा कर सकेगी।

आइए, हम जरा सावधानी से यह देखने का प्रयास करें कि सरकार के पहले प्रकार्य के संबंध में मिल क्या कहना चाहता है? मिल ने इस विषय में अपनी बात बेंथम के अनर्थकारी हितों (sinister interests) की संकल्पना से शुरू की। एक प्रतिनिधि सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी कि किसी वर्ग या समूह के प्रति पक्षपातपूर्ण और अनर्थकारी हितों के बजाय समाज के सामान्य हितों को बढ़ावा दिया जाए। हालाँकि मिल ने अल्पकालीन और दीर्घकालीन हितों में अंतर किया है। उसे इस विषय में पक्का निश्चय था कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग अपने-अपने हितों को अच्छी तरह समझता है। उसने इस विचार को हँसी में उड़ा दिया कि कुछ मनुष्य अपने वास्तविक हितों से अपरिचित हो सकते हैं। इस बात का प्रतिकार करते हुए उसने कहा कि इन व्यक्तियों के वर्तमान स्वभावों और प्रवृत्तियों को देखते हुए वे जिस भी चीज़ को चुनेंगे वही उनका वास्तविक हित होगा। इसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया में

भाग लेने की बात आई जिसके यथासंभव अधिक से अधिक व्यापक होने की संभावना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति का सरकार को नियंत्रित करने और उसके हितों की सुरक्षा में दखल हो। इसी आधार पर मिल ने महिलाओं को मत देने के अधिकार की माँग की। उसने निरक्षर और अनपढ़ व्यक्तियों, या जो कर (Tax) नहीं दे रहे हों या किसी आपदा में ग्रस्त होने के कारण सरकार से सहायता ले रहे हों, को छोड़कर बाकी सभी को मताधिकार प्रदान करने का समर्थन किया।

यह एक ऐसी प्रेरणास्पद बात थी जिसके अंतर्गत सभी को प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया गया था। मिल ने हेयर के संसद के लिए प्रतिनिधियों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने की पद्धति का समर्थन किया। वर्तमान पद्धति के अधीन मिल ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। और चूँकि उन्हें भी अपने हितों की रक्षा करनी होती है इसलिए किसी दूसरी निर्वाचन प्रणाली को ढूँढ़ना होगा जिसके अंतर्गत उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिल सके।

जहाँ मिल के सहभागिता में विश्वास के कारण उसे मताधिकार के विस्तार का समर्थन करना पड़ा, वहीं सक्षमता में विश्वास के कारण उसे बहुल-मतदान (plural voting) की सिफ़ारिश भी करनी पड़ी। वस्तुतः, बहुल मतदान को लागू किए बिना मताधिकार के क्षेत्र का विस्तार नहीं करना चाहिए। बहुल मतदान का मतलब यह है कि प्रत्येक मतदाता कम से कम एक वोट देगा, कुछ व्यक्तियों का एक से अधिक मत होगा, क्योंकि उदाहरण के तौर पर, वे अधिक पढ़े-लिखे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि "उसे शिक्षा पाने का लाभ मिला। इसी प्रकार निचले स्तर पर कुशल श्रमिक को एक अतिरिक्त मत और फोरमैन को दो अतिरिक्त मत और सबसे ऊपर के स्तर पर लेखकों, कलाकारों, सरकारी अधिकारियों, विश्वविद्यालय के स्नातकों और शैक्षिक समाजों के सदस्यों आदि पेशेवर लोगों के पाँच मत भी थे।" (देखिए पृ. 285) बहुल-मतदान से यह बात सुनिश्चित होगी कि इससे उच्चतर क्षमता के प्रतिनिधि चुने जाएँगे। इस प्रकार संसद में घटिया स्तर के सदस्यों के न चुने जाने से सामान्य हितों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी।

मिल ने अपने दो सिद्धांतों को लोकतंत्र की दूसरी संस्थाओं में भी संयोजित करना चाहा। इसका एक उदाहरण प्रतिनिधि विधानसभा को ले सकते हैं। मिल ने कहा कि इस संस्था को "शिकायत समिति" (a committee of grievances) और "सम्मति सभा" (a congress of opinion) के रूप में कार्य करना चाहिए। राष्ट्र में विद्यमान प्रत्येक सम्मति के लिए यहाँ स्थान होना चाहिए, अर्थात इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के हितों को कैसे अधिक अच्छे ढंग से सुरक्षा प्रदान की जाए। उसी समय मिल ने कहा कि यह संस्था न तो विधि निर्माण के कार्य के लिए उपयुक्त है और न ही प्रशासन के लिए। विधि निर्माण का काम "संहिताकरण आयोग" (codification commission) द्वारा किया जाता है जिसमें कुछ विधि विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासन का कार्य नौकरशाही अर्थात् अधिकारी वर्ग के हाथ में होना चाहिए। नौकरशाही ऐसी संस्था है जो प्रशासन में सक्षम है। उसके पास आवश्यक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधनों को खोज निकालने की योग्यता है। मिल ने अपनी युक्तियों में दो प्रकार की सक्षमताओं का प्रयोग किया जिन्हें साधनपरक और नैतिक कहा जा सकता है। साधनपरक सक्षमता का अभिप्राय किन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सबसे उत्कृष्ट साधनों को खोजने की योग्यता और व्यक्तियों के अपने हितों को सिद्ध करने वाले साधनों की पहचान करने की योग्यता से है जो तात्विक रूप से व्यक्तियों और समाज के लिए उत्कृष्ट हैं। नैतिक दृष्टि से सक्षम नेता सामान्य हितों को पहचानने और अनर्थकारी हितों को रोकने में समर्थ होते हैं जो न केवल सरकार में होते हैं अपितु लोकतंत्रीय बहुसंख्यक वर्ग में भी विद्यमान होते हैं। बहुल-मतदान का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना होता है कि विधानसभा में नैतिक दृष्टि से सक्षम नेता ही चुने जाएँ।

सरकार के अन्य लक्ष्यों की क्या स्थिति है? कैसे नागरिकों को बौद्धिक और नैतिक दृष्टि से बेहतर बनाया जाए? यह कार्य भी सहभागिता और सक्षमता पर आधारित प्रतिनिधित्व वाली सरकार का है जो अपने नागरिकों के मानसिक, नैतिक और क्रियात्मक पक्षों की गुणवत्ता को सुधारने में समर्थ है। आइए, हम मिल द्वारा सुझाए गए कुछ विशिष्ट संस्थागत परिवर्तनों पर ध्यान दें। वह गुप्त मतदान (secret ballot) के स्थान पर खुले मतदान (open voting) का समर्थन करता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि दूसरे ने किसे मत दिया है। मिल के अनुसार मताधिकार उस दृष्टि से व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जैसे संपत्ति पर अधिकार है। क्योंकि संपत्ति को भी व्यक्ति मनमाने ढंग से बेच सकता है या किसी को दे सकता है। किंतु मताधिकार ऐसा नहीं है। मताधिकार एक विश्वास है, या नागरिक का कर्त्तव्य है, और प्रत्येक व्यक्ति को उस व्यक्ति को अपना मत देना चाहिए जिसकी नीतियाँ सामान्य हितों को संरक्षण प्रदान करने वाली हों। व्यक्ति को अपने मत को दूसरों के समक्ष न्यायसंगत ठहराने की आवश्यकता होती है जो अपने मत को अपने बौद्धिक और नैतिक विकास का साधन बनाता है। अन्यथा व्यक्ति अपने मत का मनमाने ढंग से उपयोग करेगा। उदाहरण के तौर पर, कोई व्यक्ति किसी को उसकी आँखों के रंग के कारण मत दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए, लेकिन मत का प्रयोग खुले में होना चाहिए - इस प्रकार मिल ने सहभागिता और सक्षमता के सिद्धांत को मताधिकार में जोड़ दिया ताकि नागरिकों के मतदान में सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

यहाँ एक बार फिर हम सुधार के मूल भाव को निहित पाते हैं। प्रतिनिधि सरकार तानाशाही से इसलिए बेहतर नहीं है कि वह नागरिकों के तथाकथित हितों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से रक्षा करती है बल्कि इसलिए बेहतर है कि वह इन नागरिकों में सुधार लाने में समर्थ है। नागरिक सरकार में भाग लेने में समर्थ होकर, अत्यंत छोटे स्तर पर मतदान करके, और स्थानीय प्रशासन में वास्तव में निर्णय लेकर अपनी क्षमताओं का विकास करते हैं। उसके साथ ही, यह सहभागिता सक्षमता के सिद्धांत से प्रभावित होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक प्रभाव का शिक्षात्मक परिणाम न हो।

13.6 उपयोगितावाद से आगे

मिल की तीन रचनाओं को अलग-अलग देखने के बाद, आइए हम मिल की रचनाओं के सामान्य विषयों के बारे में जानने का प्रयास करें। मिल ने स्वयं का कभी भी उपयोगितावादी होने की बात से इनकार नहीं किया, इस प्रयास में चाहे उसके सिद्धांत उसके मत से कितनी ही दूर क्यों न हो गए हों। जब उसने अधिकारों के बारे में बात की (उदाहरण के तौर पर, उसने अधिकारों को उपयोगिता की संकल्पना में शामिल कर लिया) तो उसने अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा कि वे अत्यधिक महत्वपूर्ण उपयोगिताओं के सिवाय कुछ नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि मिल के पिता, जेम्स मिल उपयोगितावाद के संस्थापक जेरेमी बेंथम के घनिष्ठतम मित्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद की छाया में पले-बढ़े और यहाँ तक कि अपने जीवन में बीस के दशक के आरंभ में अपने भावात्मक संकट के बाद उसने उपयोगितावाद के समर्थन में लिखा। अपने संपूर्ण लेखन-कार्य में हमने उसे उपयोगिता के मानक को लागू करते हुए देखा। महिलाओं को समानता प्रदान करने का एक कारण यह था कि इससे उनकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। उसने, इसकी सामाजिक उपयोगिता के आधार पर, स्वतंत्रता के सिद्धांत का समर्थन किया - क्योंकि वैयक्तिक स्वतंत्रता पर ही सामाजिक प्रगति निर्भर है। इसकी उपयोगिता के कारण उसने संशोधित उदारवादी लोकतंत्र को सबसे उत्कृष्ट प्रकार की सरकार बताया गया।

मिल ने "यूटिलिटेरियनिज्म" (1862) नामक छोटी-सी पुस्तिका में इस दर्शन के विरुद्ध उठाए गए सभी आक्षेपों का उत्तर दिया है। मिल ने इस पुस्तिका का आरंभ इस बात की ओर संकेत करते हुए किया है कि शताब्दियों से क्या चीज़ सही है और क्या गलत है इस बात में अंतर करने की कसौटी तय करने पर कोई समझौता नहीं हो सका। मिल ने इस बात को अस्वीकार किया कि मनुष्य के पास देखने और सूँघने की समझ की तरह नैतिक समझ भी होती है जिसके द्वारा यह पता चल सकता है कि कुछ नियत मामलों में क्या सही है। मिल ने नैतिकता के आधार के रूप में उपयोगिता की कसौटी को या सर्वाधिक प्रसन्नता (खुशी) के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वह कार्य नैतिक है जो प्रसन्त्ता को बढ़ाने या पीड़ा (दुख) को दूर करने वाला है। यहाँ उपयोगितावाद के पक्ष का समर्थन करते हुए मिल ने बेंथम की स्थिति से महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। प्रसन्नता की गणना न केवल उसकी मात्रा के आधार पर की जानी चाहिए बल्कि उसकी गुणवत्ता के आधार पर भी की जानी चाहिए। गुणवत्ता की दृष्टि से उच्चतर की प्रसन्नता की तुलना निम्न स्तर की प्रसन्नता से की जा सकती है। "यह बात उपयोगिता के सिद्धांत के बिल्कुल अनुरूप है। इसके द्वारा यह पहचान की जा सकती है कि कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रसन्नताएँ दूसरी प्रकार की प्रसन्नताओं की अपेक्षा अधिक वांछनीय और अधिक मूल्यवान है, जैसे - सुकरात का असंतुष्ट होना किसी सूअर के संतुष्ट होने से अच्छा है।" (पृ. 7-9)

इस आलोचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद कि उपयोगितावाद पशु को मानव स्वभाव के समान मानता है, मिल अगली गंभीर समस्या को लेता है। लोग अन्य व्यक्तियों की प्रसन्नता में क्यों रुचि रखते हैं? मिल इसका उत्तर मनुष्य की सामाजिक भावनाओं, अन्य जीवों के साथ एकता बनाए रखने की इच्छा (पृ. 29) रूपी मानव स्वभाव के शक्तिशाली सिद्धांत के संदर्भ में देता है क्योंकि "सामाजिक स्थिति काफी अधिक स्वाभाविक और अनिवार्य है तथा व्यक्ति भी इसका काफी अभ्यस्त है।" इसलिए मिल का यह मानना है कि दूसरों की प्रसन्नता में रुचि रखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न-चिह्न नहीं लगाया जा सकता।

अंत में, मिल ने केवल एक आपत्ति को गंभीरता से लिया जिसमें नैतिकता का आधार उपयोगिता के बजाय न्याय को बताया गया था। इसके उत्तर में मिल की यह प्रतिक्रिया थी कि न्याय को अधिकार के साथ जोड़ दिया जाए - अन्याय तभी होता है जब किसी के अधिकारों का हनन होता है और तब यह दावा किया जा सकता है कि अधिकारों की रक्षा इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि उनकी उपयोगिता है। "किसी चीज़ पर अधिकार होने का मतलब किसी चीज़ का व्यक्ति के पास होना है जिसकी समाज को रक्षा करनी चाहिए। यदि आपत्तिकर्ता निरंतर पूछता रहे कि ऐसा क्यों आवश्यक है तो मैं उसे सामान्य उपयोगिता की अपेक्षा कोई अन्य कारण नहीं बता सकूँगा।" (पृ. 50) मिल के अनुसार वही समाज प्रगति कर सकता है जिसमें व्यक्तियों को यह निश्चय होता है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रकार अधिकार उपयोगिता की संकल्पना का स्थान नहीं ले सकते क्योंकि मिल का कथन है कि उपयोगिता के कारण ही अधिकारों की न्यायसंगतता है।

13.7 सारांश

मिल के उदारवाद ने आधुनिक लोकतंत्रीय समानता की पहली रूपरेखा प्रस्तुत की। उसने व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के तर्क का स्त्रियों की अधीनता को समाप्त करने तक विस्तार कर दिया। एक सांसद के रूप में उसने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिलाने के लिए एक कानून प्रस्तुत किया

लेकिन जब यह कानून पारित नहीं हो सका तो उसे बहुत निराशा हुई। ओकिन के अनुसार मिल पहला ऐसा पुरुष दार्शनिक था जिसने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और उनकी अधीनता के बारे में लिखा। उसने हमारे समाज में विद्यमान व्यापक विभिन्नता का भी चित्रण किया और व्यक्तियों के निजी क्षेत्र में संगठित वर्ग या सार्वजनिक राय के हस्तक्षेप की आशंका से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति भी सावधान किया। आत्म-संबंधित और दूसरों से संबंधित कार्य के बीच अंतर से यह निर्धारित होगा कि व्यक्ति का कौन-सा निजी स्वतंत्र क्षेत्र है और कौन-सा व्यक्ति का सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र। उसने लोकतंत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर भी बल दिया। उसने क्लासिकी उपयोगितावादी उदारवाद की कमियों को समझा और जोरदार ढंग से इस बात का समर्थन किया कि राज्य द्वारा अनिवार्य शिक्षा और सामाजिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। इस बात को समझकर कि उसकी योजना बेंथम की योजना से बहुत भिन्न है उसने स्वयं को समाजवादी भी घोषित कर दिया। उसके उदारवाद के पुनरीक्षण ने टी.एच. ग्रीन को प्रेरणा प्रदान की। ग्रीन ने ब्रिटिश उदारवादी परंपरा को यूरोपीय परंपरा के साथ संयोजित करके सामान्य हित के विचार के साथ उदारवाद के लिए नया आधार तैयार कर दिया।

यहाँ यह प्रासंगिक होगा कि हम उसकी रचना "ऑटोबायोग्रॉफी" (आत्मकथा) में वर्णित उसके बाद के लोकतंत्र से परे समाजवाद की ओर विकास का विवरण दे दें। "मैं पहले लोकतंत्र समर्थक था, लेकिन बिल्कुल भी समाजवादी नहीं था। अब मैं पहले की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में लोकतंत्री हूँ, परंतु हमारा आधारभूत सुधार का आदर्श लोकतंत्र से कहीं आगे तक विस्तृत था और निश्चय ही वे हमें सामान्य समाजवादियों की श्रेणी में रखेंगे।" (पृ. 239) "अब हमारे सामने भविष्य की सामाजिक समस्या यह है कि हम कैसे कार्य की सबसे महान वैयक्तिक स्वतंत्रता को पूरे भूमंडल के कच्चे माल के समान स्वामित्व के साथ जोड़ेंगे और कैसे संयुक्त श्रम के लाभों में सभी समान रूप से सहभागी होंगे।" यदि अधिकतम संख्या की अधिकतम प्रसन्नता की यही आवश्यकताएँ हैं तो बाद के मिल के पूँजीवाद और लोकतंत्र के बीच के संबंध संदेह के घेरे में थे।

13.8 अभ्यास

1. "परिवार तानाशाही की पाठशाला है।" इस कथन के द्वारा मिल क्या कहना चाहता है? उसके इस दावे की व्याख्या कीजिए कि जो बच्चे ऐसे परिवारों में बड़े होते हैं वे अच्छे लोकतंत्रीय नागरिक नहीं हो सकते।

2. महिलाओं की समानता के बारे में मिल की युक्तियों में से एक युक्ति यह है कि इससे बहुत-सी महिलाओं को प्रसन्नता मिलेगी। क्या प्रसन्नता के संबंध में ऐसी युक्ति देकर अन्याय से मुक्ति पाने का विचार अच्छा है?

3. प्राकृतिक अधिकारों और वैयक्तिक स्वतंत्रता के उपयोगितावादी पक्ष के समर्थन के बीच आप कैसे चुनाव करेंगे?

4. क्या मिल के इस कथन की कुछ सार्थकता है कि खाने और कपड़े के बाद स्वतंत्रता मानव प्रकृति की आवश्यकता है? क्या मिल का यह दावा उसकी मानव प्रकृति की ऐतिहासिक स्थिति के विरुद्ध नहीं जाता है?

5. मिल द्वारा समर्थित उदार लोकतंत्रीय सरकार में खुला मतदान, बहुल-मतदान पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की "हेयर" की पद्धति और संहिताकरण आयोग जैसे कुछ विशिष्ट सांस्थानिक सुधारों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सुधार परस्पर सुसंगत हैं?

6. इस उपयोगितावादी विचार के बारे में आपका क्या विचार है कि एक नैतिक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता तथा अपने प्रियजनों की प्रसन्नता और किन्हीं अनजान व्यक्तियों की प्रसन्नता के प्रति पक्षपात रहित होता है?

7. मिल ने उपयोगिता की संकल्पना के अंतर्गत न्याय और अधिकारों को शामिल करने का प्रयास किस प्रकार किया? इस प्रयास के संबंध में आपका क्या विचार है।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY